1

<u>सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप–1</u>

खण्ड का नामः–प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,रूद्रपुर(ऊधमसिंह नगर)

कम सं0	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम मे	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	07002909	श्रीमती मीरा चन्द्रा (प्रशासनिक अधिकारी)	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, रूद्रपुर	–	प्राथिंनी एकल अभिभावक होने के कारण प्रार्थिनी को 1–धारा 17 (1) ख (एक) 2–17 (1) (ख) (पॉच) के कारण छुट प्रदान की जाय। चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर (signature)
नाम–मीरा चन्द्रा
पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी

(इं0 गजेन्द्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)
12/5/2026

Scanned with OKEN Scanner

...कित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड [illegible] संख्या [illegible] (चि) /2001 दिनांक 06.05.
[illegible]

: स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र :

हस्ताक्षर प्रमाणित,
श्रीमती मीरा चन्द्रा

मुख्य चिकित्साधिकारी / सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–पत्रांक–19प / 8 / 1 / 2023 / टी0सी0 / 23365 दिनाँक 20 जुलाई, 2023 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख श्रीमती मीरा चन्द्रा उम्र लगभग 53 वर्ष अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनाँक 27 / 07 / 2023 को उपस्थित हुये।

परीक्षणोपरान्त उन्हें A CASE OF OLD TREATED CASE OF FRACTURE SPINE L2 VERTEVRA WITH FRACTURE GREATER TUBEROSITY HUMERUS -- COMES UNDER TRANSFER ACT DHARA 3(घ) पाया गया।

27/7/2023

(डा0 एस0एन0 सिंह)
आर्थो0सर्जन / सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 शशिबाला वासन)
नेत्र सर्जन / सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 प्रवीन पंवार)
फिजिशियन / सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी / सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक / अध्यक्ष
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय—प्रमुख अधीक्षक, बी0 डी0 पाण्डे जिला पुरुष चिकित्सालय नैनीताल।

सेवा में

आधिशासी अभियंता,

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,लो0नि0वि0

हल्द्वानी,नैनीताल।

विषय—श्रीमती मीरा चन्दा के स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने विषयक।

पत्रांक—: एम—1/2018—19 (2) दिनांक 07.05.2018

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं—863/4ई दिनांक—28.04.2018 के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती मीरा चन्दा पत्नी स्व0श्री हरीश चन्द्र उम्र—लगभग..45 वर्ष,निवासी—हाउस न0—65,ग्राम—हल्दुपोखरा नायक,पो0ओ0—आनन्द पुर,हल्द्वानी,जिला—नैनीताल।चिकित्सा परीक्षण हेतु आज दि0.07.05.2018 को ओ0पी0डी0 सं0—01201819793 के द्वारा इस चिकित्सालय में उपस्थित हुए। जिनके हस्ताक्षर प्रमाणित किये जा रहे हैं। का स्वास्थ्य परीक्षण इस चिकित्सालय के वरिष्ठ आर्थो सर्जन डा0राजीव प्रकाश द्वारा किया गया परीक्षणोपरान्त श्रीमती मीरा चन्दा को .... A.F.U.C. ... Greater Trochanter ... Humerus ...... रोग से पीड़ित पाया गया। ... Body [illegible]

तथा चिकित्सक द्वारा श्रीमती मीरा चन्दा को ....AVOID-MOVEMENT IN HILL AREAS and UNEVEN SURFACE.......एवं लगातार चिकित्सालय की ओ0पी0डी0 में, चिकित्सकीय परामर्श लेते रहने की सलाह दी गयी है

[signature]

श्रीमती मीरा चन्दा
के हस्ताक्षर प्रमाणित।

[signature]

प्रमुख अधीक्षक० (पु०) चिकित्सालय
बी0 डी0 पाण्डे पुरुष चिकित्सालय
नैनीताल।

[signature]
प्रमुख अधीक्षक
बी0डी0 पाण्डे पुरुष चिकित्सालय

Scanned with OKEN Scanner

मण्डलीय चिकित्सा परिषद– नैनीताल ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीरा चन्द्रा, उम्र- 45 वर्ष, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० हल्द्वानी, जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये जा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 22.05.2018 को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुई ।

इनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय नैनीताल में कराया गया, साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत पत्रजात [illegible] बेस अस्पताल हल्द्वानी/सोबन सिंह जीना चिकित्सालय हल्द्वानी/ एम्स दिल्ली का है, को भी संज्ञान में लिया गया।

परीक्षणोपरान्त इन्हें PUC of a GT (R) Humerus c̄ ?? Vertebral body पाया गया । अतः इन्हें सम्बन्धित विशेषज्ञ की राय के अनुसार फॉलोअप एवं उपचार की सलाह दी जाती है।

Meera

ह० (मीरा चन्द्रा)

ह० प्रमाणित : सी०एम०ओ० 22/5/18

Tara Arya
PRESIDENT
MEDICAL BOARD
अध्यक्ष NAINI TAL

सदस्य

सदस्य

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल ।

संख्या एम-3/2018 दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० हल्द्वानी को उनके पत्र दिनांक [illegible] के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Meera Signature attested

Tara Arya
22/05/18

Scanned with OKEN Scanner

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप- 1

वृत्त का नाम : सिविल वृत्त, लो०नि०वि० हरिद्वार।
खण्ड का नाम : निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रूड़की।

क्र०सं०	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	65006198	रश्मि गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी	नि.ख., लो.नि.वि., रूड़की।	नि.ख., लो.नि.वि., रूड़की।	महोदय, महोदय मेरा एक पुत्र है, मैं एक विधवा कार्मिक हूं तथा मैं अकेली ही अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही हूं एवं मेरे पुत्र की देखभाल करने वाला परिवार में मेरे अतिरिक्त और कोई नही है, जिस कारण मैं अभी दुर्गम क्षेत्र में जाने में असमर्थ हूं। रा0सं0 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दि0 15.04.2025 के अनुपालन में बिन्दु संख्या 3 के अनुसार एवं स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के बिन्दु संख्या (6) के अनुसार भी विधवा कर्मचारी को ऐच्छिक स्थान पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने का पात्र माना गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है, कि मेरा पूर्व में स्थानान्तरण आपके कार्यालय ज्ञाप संख्या 229/18व्यम- अधि0- उ0/2024 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रुड़की हुआ था। स्थानान्तरण हुये अभी एक वर्ष से भी कम समय हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, कि मेरी उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मुझे दुर्गम क्षेत्र की तैनाती/स्थानान्तरण से अभी मुक्त रखने की कृपा करें, मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी एवं प्रार्थिनी की वर्तमान में जनगणना 2027 में ड्यूटी लगाई गई है।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम – रश्मि गुप्ता
पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम – विपुल कुमार सैनी
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का प्रारूप—1

क्र0 सं0	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
(1)	S70064215	श्रीमती ममता प्रशासनिक अधिकारी	वि. खं. लो. नि. वि. देहरादून	(1) प्रा० खण्ड लो. नि. वि. लैन्सडौन (2) प्रा० खण्ड लो. नि. वि. पौड़ी (3) नि. ख० लो. नि. वि. पौड़ी (4) अ. ख० श्रीनगर (5) प्रा० खण्ड टिहरी (6) नि० खण्ड चम्बा (7) राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर (8) ग्रा० मा० ख० धुमाकोट (9) नि० ख० चिन्यालीसौड़ (10) नि. ख० बैजरों।	धारा 17 (1) खण्ड (ड) के तहत् एकल अभिभावक होने के नाते पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन मेरे स्वयं द्वारा किया जाता है।

हस्ताक्षर (कार्मिक) Mamta 2-5-26

नाम— ममता देवी

पदनाम— प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) [signature]

नाम— अधिशासी अभियन्ता

पदनाम— वि०/यां० खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों का

प्रारूप–1

क्र0 सं0	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में		टिप्पणी
1	2	3	4	5		6
1	65006208	श्री सन्नी कुमार / प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, हरिद्वार	1	प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	महोदय प्रार्थी Epilepsy Seirzure नामक मानसिक रोग से पीड़ित होने के कारण प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब रहता है, जिसका चिकित्सक उपचार वर्तमान में जिला अस्पताल, हरिद्वार में चल रहा है। जिस कारण प्रार्थी को समय–समय पर चिकित्सक के पास उपचार हेतु जाना पड़ता है। अतः महोदय आपसे करबद्ध निवेदन है कि स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 7(घ) तीन के अनुसार प्रार्थी को सुगम से दुर्गम अनिवार्य स्थानांतरण में छूट प्रदान करते हुए मानवता के आधार पर प्रार्थी की स्वास्थ्य परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को जनपद हरिद्वार के प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 हरिद्वार में यथावत रखने की असीम कृपा करेंगे।
				2	निर्माण खण्ड लक्सर	
				3	निर्माण खण्ड रूड़की	

(सन्नी कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 हरिद्वार

(इं दीपक [illegible])
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
हरिद्वार

5 5

सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थनों का प्रारूप–1

क्र0 स0	कर्मचारी कोर्ड	नाम / पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	टिप्पणी
1		2	4	6	9
1	1000225	नीरज कुमार प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड,ए0डी0वी0 खण्ड, लो0नि0वि0,रूद्रपुर।	1. प्रा0ख0, लो0नि0वि0, चम्पावत 2. नि0ख0, लो0नि0वि0 लोहाघाट 3 प्रा0ख0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ 4. नि0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल 5. प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल 6. अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली 7. नि0ख0.लो0नि0वि0, अल्मोड़ा 8. प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा 9. नि0ख0, लो0नि0वि0, रानीखेत	

नाम:– नीरज कुमार
पदनाम:– प्रशासनिक अधिकारी

(इं0 गजेन्द्र सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,ए0डी0बी0, लो0नि0वि0,रूद्रपुर।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,ए0डी0बी0,
लो0नि0वि0, रूद्रपुर.

Scanned with CamScanner

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
17 / 30/4/21	3/5/21	3-5-21	[illegible]

Cancelled
FOR COPYING FEES ONLY

न्यायालय अपर न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कटनी म०प्र०

मूलवाद क्र० 211/2021

श्री राजेन्द्र बनाम श्रीमती प्रियंका

13 हिन्दू विवाह अधिनियम

FOR COPYING FEES ONLY

Cancelled
FOR COPYING FEES ONLY

नकल डिग्री की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

1

मूलवाद में आज्ञप्ति

(आदेश 20 नियम 6–7)

अपर न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रूडकी, जिला हरिद्वार

मूलवाद सख्या– 211/2021

संस्थित दिनांक 17 मास 04 सन 2021 ई0

श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जसपाल सिंह निवासी मकान नं0 533, ग्राम मोहनपुरा मोहम्मदपुर परगना व तहसील रूडकी, जनपद हरिद्वार।

..........याची

बनाम

श्रीमती प्रियंका पत्नी राजेन्द्र सिंह पुत्री धीरज सिंह नेगी हाल निवासी मकान नं0 42, वार्ड नं0 2, गांधीनगर गदरपुर, जनपद उधम सिंह नगर।

.......प्रत्यर्थी

टिप्पणी:– जो पते ऊपर लिखे गये है, वह पक्षकारों ने X X X को छोडकर X X X जो उपस्थित नही हुए, तामिल के प्रयोजन से दाखिल किये है

दावा मूल्यांकन – /–रू0

धारा–: 13 हि0वि0अधि0

अतः याची प्रार्थी है कि:–

अ. यह कि प्रार्थी व विपक्षीया के विवाह दिनांकित 15.01.2011 को विच्छेदित कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाये।

ब. यह कि खर्चा मुकदमा मय फीय वकील प्रार्थी को विपक्षीया से दिलाया जावे।

स. यह कि अन्य कोई अनुतोष जो राय अदालत बहक प्रार्थी मुफीद हो वह भी विपक्षीया से दिलाया जाये।

अधिवक्ता की

याची के लिये श्री विपिन कुमार कटारिया अधिवक्ता की

और प्रत्यर्थी के लिये श्री कमलाकान्त

उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 06.05.2023 को (इमरान मौ0 खान) अपर कुटुम्ब न्यायाधीश रूडकी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट और आज्ञप्त किया जाता है कि –

आदेश

याची श्री राजेन्द्र सिंह की याचिका अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 वास्ते विवाह विच्छेद एक पक्षीय तौर पर प्रत्यर्थी श्रीमती प्रियंका के विरूद्ध डिक्री की जाती है। याची श्री राजेन्द्र सिंह व प्रत्यर्थी श्रीमती प्रियंका के मध्य संपन्न विवाह दिनांकित 15.01.2011 आज निर्णय की दिनांक से विवाह–विच्छेद की डिक्री द्वारा विच्छेदित किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे मद्दे – – – – रूपये की राशि आज की तारीख से ज्ञापन की तारीख तक उस पर – – – – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित – – – – द्वारा – – – – को दी जाये ।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक 06 मास 05 सन 2023 ई0

न्यायाधीश

10/5/23

अपर कुटुम्ब न्यायाधीश

18A/2

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे
1—वाद पत्र के लिये मुद्रांक 2—शक्ति पत्र के लिये मुद्रांक 3—प्रदर्शितो के लिये मुद्रांक 4—अभिवक्ता की फीस रू0 5—साक्षियों के लिये निर्वाहव्यय 6—कमीशन निष्पादक की फीस 7—आदेशिका की तामील		
योग	Nil	----

प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1—शक्ति पत्र के लिये मुद्रांक 2—याचिका के लिये मुद्रांक 3—अभिवक्ता की फीस 4—साक्षियो के लिये निर्वाह—व्यय 5—आदेशिका की तामिल 6—कमीशन निष्पादक की फीस		
योग	NIL	----

मुन्सरिम के हस्ताक्षर

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक

न्यायालय जिला जज